



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092021-229833
CG-DL-E-21092021-229833

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3560]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 21, 2021/भाद्र 30, 1943

No. 3560]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 21, 2021/BHADRA 30, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2021

का.आ. 3884(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 के अनुपालन में, केंद्रीय सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में संख्या का.आ. 554(अ), तारीख 30 जनवरी, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 1 में, क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(1.) श्री समीर पाल स्रो, भा.प्र.से. सेवानिवृत्त,
मकान नं.5409/1 (प्रथम तल),
मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, मणि माजरा,
संघ राज्य क्षेत्र, चण्डीगढ़।
ई-मेल: sameersrow@hotmail.com

अध्यक्ष,”

[फा. सं. जे-11013/24/2007-आईए. II(I)]

डॉ. सुजीत कुमार वाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में संख्या का.आ. 554(अ) तारीख 30 जनवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2021

S.O. 3884(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 554(E) dated the 30th January, 2019, namely:-

In the said notification, in the paragraph 1, for the serial number 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

“(1.) Shri Sameer Pal Srow, IAS Rtd,
House No. 5409/1 (First Floor),
Modern Housing Complex, Mani Majra,
U.T., Chandigarh.
Email: sameersrow@hotmail.com

Chairman;”

[F. No. J-11013/24/2007-IA.II(I)]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 554(E) dated 30th January, 2019.